प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक एन0ओ0सी0 / /2015–16 दिनांक 18/4/2015

विषय :–आर्मी पब्लिक स्कूल महड़ौरा कावॅर चन्दौली के नाम में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि प्रबन्धक आर्मी पब्लिक स्कूल महड़ौरा कावॅर चन्दौली द्वारा एक आवेदन पत्र दिनांक 13.4.2015 इस कार्यालय को प्राप्त कराया गया है, पत्र के साथ सी0बी0एस0ई0बोर्ड नई दिल्ली द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 31.3.2015 संलग्न किया गया है। प्रबन्धक द्वारा यह निवेदन किया गया है कि सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली के पत्र दिनांक 31.3.2015 द्वारा विद्यालय का नाम जो आर्मी पब्लिक स्कूल रखा गया है उसको संशोधित किया जाय। उक्त के आलोक में विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव पारित करके विद्यालय का नाम चिल्ड्रेन आर्मी पब्लिक स्कूल महड़ौरा कॉवर चन्दौली किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न करके अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त करायी गयी है।

उपरोक्त संदर्भित प्रबन्धक द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र एवं संगत पत्रजात आपकी सेवा में प्रेषित करते हुए अनुरोध करना है कि विद्यालय प्रबन्धक द्वारा विद्यालय का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल महड़ौरा कावॅर चन्दौली के स्थान पर चिल्ड्रेन आर्मी पब्लिक स्कूल महड़ौरा कावॅर चन्दौली कर दिया गया है, जिसपर कोई आपत्ति नहीं है। कृपया अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–उक्तवत

भवदीय

डा0(प्रदीप कुमार)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ0सं0 / एन0ओ0सी0 / 422-23 /2015–16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि :– प्रबन्धक, चिल्ड्रेन आर्मी पब्लिक स्कूल महड़ौरा कावॅर चन्दौली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

डा0(प्रदीप कुमार)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नई दिल्ली

पत्रांक : एन0ओ0सी0 / /2013–14 30/8/2013

विषय :– आर्मी पब्लिक स्कूल महडौरा कांवर चन्दौली को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महादेय,

उपर्युक्त विषय की ओर आप ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई बोर्ड नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धो के अधीन आपत्ति नहीं है :–

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली/ कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदो से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो की अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियो को अनुमन्य सेवानैवृत्तिक का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9. उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिर्वतन / संशोधन / परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धो का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धो का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार कमी चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

डा0(उत्तम गुलाटी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी

पृ0सं0 / एन0ओ0सी0 / 4372-79 / 2013–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
3. शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0लखनऊ।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक चन्दौली।
5. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0लखनऊ।
6. प्रबन्धक, आर्मी पब्लिक स्कूल महडौरा कांवर चन्दौली।
7. गार्ड फाइल हेतु।

30.8.13

डा0(उत्तम गुलाटी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
वाराणसी मण्डल वाराणसी